

अति आवश्यक/आज ही

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011


जयपुर, दिनांक : 24.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान

विषय:- राज्य में सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये आमजन को वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने बाबत।


सेवारत चिकित्सकों द्वारा सामूहिक कार्य बहिष्कार के मध्यनजर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि आप अपने स्तर पर सार्वजनिक एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में जो छात्र इन्टर्नशिप कर रहे हैं, की भी चिकित्सकों की सहायता हेतु रूपए 500/- दैनिक मानदेय पर रखकर विभिन्न चिकित्सालयों में आवश्यकता के आधार पर सेवाएँ ले सकते हैं। इन छात्रों की उक्त अवधि को प्रशिक्षण योग्य अवधि माना जावेगा। साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये जाने हैं कि उक्त व्यवस्था आज ही लागू करावें।

सेवाएँ देने वाले उक्त छात्रों को आर. एम. आर. एस. के माध्यम से उसी दिन भुगतान कर दिया जावेगा, जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

  
(बी. एन. शर्मा) 24.12.11  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय।
4. उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. मिशन निदेशक, एन. आर. एच. एम., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
10. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
14. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल व एस. एम. एस. तुरन्त करावें।
15. निजी /रक्षित पत्रावली

  
(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव